

20/10/22

अनिल कुमार वर्मा,
एच.जे.एस.


अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 28/2022
विश्राम कक्ष,
जनपद न्यायाधीश, औरैया
दिनांक- 20-10-22-

सुश्री शर्मा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपने दिनांक 27.08.2022 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति इलाहाबाद प्रस्थान करने हेतु प्राप्त की थी जिसमें आप द्वारा सिविल लाइन इलाहाबाद जाने का पता अंकित किया गया था परन्तु आप बिना मुझको सूचित किये माननीय तत्कालीन प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी, सत्र खण्ड औरैया से मिले और आपने इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी आज तक मेरे संज्ञान में नहीं लयी।

इस प्रकार आपने प्रोटोकाल का ब्रेक किया है तथा समय समय पर निर्गत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिपत्रों में दी गयी व्यवस्था का अतिक्रमण किया है। इस प्रकार आपका यह भी कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

आप अपना स्पष्टीकरण सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(अनिल कुमार वर्मा),
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

सुश्री प्रियल शर्मा,
सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी.,
महिलाओं के विरुद्ध अपराध,
औरैया।

Self-Attestd.
Priyal
20/10/22